NEWS18
हिंदी

अब होटल का खाना होगा सेहतमंद, सरकार 1 मार्च से लागू कर रही है नया नियम

दरअसल, सरकार सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले सिस्टम पर रोक लगाना चाहती है. नए नियम 1 मार्च से लागू हो जाएंगे.

February 12, 2019

बहुत जल्द बड़े रेस्टोरेंट और फूड कंपनियां जला हुआ खाने का तेल दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. दरअसल, सरकार सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले सिस्टम पर रोक लगाना चाहती है. नए नियम 1 मार्च से लागू हो जाएंगे.

फूड रेग्युलेटर FSSAI इस आदेश से दो मकसद पूरा करना चाहती है. पहला जो ट्रांसफैट की समस्या है जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियां होती हैं उनपर लगाम लगाने की कोशिश है क्योंकि जब आप खाने का तेल का दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ट्रांसफैट बनने की ज्यादा संभावना होती है.

दूसरी तरफ बायोडीजल मिशन है भारत है उसको सोर्स मिल सके जो जरूरी तेल है वो मिल सके. ये भी एक मकसद है इस पूरे आदेश का और इसके लिए जितने ऐसे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो हर दिन में 50 लीटर से ज्यादा कुकिंग ऑयल तलने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. उन्होंने कहां से एडिबल ऑयल है जो सोर्स किया है, कितना इस्तेमाल किया है और कितना डिस्कार्ड किया और किस एजेंसी को डिस्कार्ड करने के बाद दिया है. ये सारा रिकॉर्ड उसे मेंटेन करना पड़ेगा. सरकारी एजेंसी जो इस तेल को कलेक्ट करेगी वो इसे बाद में बायोडीजल बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी.